छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2021
(श्रावण 4, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राज्यगीत "**अरपा पइरी के धार**" का गायन किया गया ।

2.निधन का उल्लेख

मानननीय अध्यक्ष ने श्री गुलाब सिंह, पूर्व सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा, श्री सोमप्रकाश गिरि, पूर्व सदस्य अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा, श्री बालाराम वर्मा, पूर्व सदस्य अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा, श्रीमती करूणा शुक्ला, पूर्व सांसद, लोकसभा, श्री बद्रीधर दीवान, पूर्व उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा, डॉ. शक्राजीत नायक, पूर्व राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, श्री रामाधार कश्यप, पूर्व सांसद, राज्यसभा, श्री बलराम सिंह बैस, पूर्व सदस्य अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा, श्री खेलनराम जांगड़े, पूर्व सांसद, लोकसभा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, डॉ. विनय जायसवाल, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम, पुन्नूलाल मोहले, रजनीश कुमार सिंह, नारायण चंदेल, केशव प्रसाद चन्द्रा, डॉ.रमन सिंह, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज कारगिल दिवस है । कारगिल में जो जवान शहीद हुए हैं, पूरा देश उनको नमन करता है। उनके श्री चरणों को प्रणाम करता है। उनके प्रति हम सब लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 12.22 बजे स्थगित की जाकर 12.40 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

3.पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने विधायक के सुरक्षित नहीं रहने संबंधी घटना का उल्लेख किया एवं सदन की समिति बनाकर जांच कराये जाने की मांग की।

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 1.08 बजे स्थगित की जाकर 1.22 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, सदस्य ने प्रकरण के संबंध में विचार व्यक्त किये ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि इस संबंध में गृहमंत्री भोजनावकाश के पश्चात् वक्तव्य देंगे।

(1.33 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने प्रकरण में वक्तव्य देने की मांग की ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि गृहमंत्री जी इस पर वक्तव्य देंगे ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि गृह मंत्री जी इस पर कल वक्तव्य देंगे ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2019-20

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 तथा

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20

पटल पर रखे ।

5. फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2021 सत्र का दिनांक 09 मार्च, 2021 को समय पूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 एवं 26 मार्च, 2021 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

6. फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के अगस्त, 2020 सत्र में पारित कुल 12 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर, दिसंबर, 2020 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में शेष बचे 6 विधेयकों में से 5 विधेयकों पर तथा फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में पारित सभी 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा

(2) श्री धनेन्द्र साहू

(3) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(4) श्री शिवरतन शर्मा

(5) श्री देवव्रत सिंह

(6) श्री लखेश्वर बघेल

10. स्थगन प्रस्ताव

मानननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में खाद, बीज की कमी होने संबंधी 13 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा स्थगन प्रस्ताव ग्राहय कर तत्काल चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव ग्राहय किया जाता है । अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री संतराम नेताम, अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय, डॉ. रमन सिंह, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सर्वश्री नारायण चंदेल, बृहस्पत सिंह, शिवरतन शर्मा,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

श्री मोहन मरकाम,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

11.बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

सायं 06.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही, मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2021 (श्रावण-5, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा